संख्या– 4244 / 1–10–2008–12(73) / 2008 टीसी–1

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्वार्थनगर, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, फर्रूखाबाद, देवरिया, बाराबंकी, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, गोण्डा, आजमगढ, बलिया, सुल्तानपुर, कन्नौज, लखनऊ, मऊ, रामपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर, 2008

विषयः वर्ष 2008–09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत / रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं बाढ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008–09 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत / रेस्टोरेशन हेतु कुल धनराशि रू0 85,35,00,000 / – (रूपये पच्चासी करोड़ पैतीस लाख मात्र) निम्नांकित शर्तो / प्रतिबन्धों एवं विवरण अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कमांक	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	सिद्वार्थनगर	8,00,00,000 / –
2	महराजगंज	4,00,00,000 / –
3	लखीमपुर खीरी	7,00,00,000 / –
4	फर्रूखाबाद	3,00,00,000 / –
5	देवरिया	8,00,00,000 / –
6	बाराबंकी	67,00,000 / –
7	गोरखपुर	7,00,00,000 / –
8	बस्ती	7,00,00,000 / –
9	संतकबीरनगर	5,00,00,000 / –
10	सीतापुर	3,00,00,000 / –
11	उन्नाव	5,00,00,000 / –
12	बहराइच	3,00,00,000 / –
13	गोण्डा	2,00,00,000 / –
14	आजमगढ	4,00,00,000 / –

15	बलिया	5,00,00,000 / —
16	सुल्तानपुर	2,00,00,000 / —
17	कन्नौज	68,00,000 / —
18	लखनऊ	5,00,00,000 / —
19	मऊ	5,00,00,000 / —
20	रामपुर	1,00,00,000 / —
	कुल योग	**85,35,00,000 / —**
		(रूपये पच्चासी करोड़ पैतीस लाख मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—आपदा राहत निधि—800—अन्य व्यय—03—राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय—42—अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2008 में **बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से** आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स की मद संख्या—18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की **तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले** मरम्मत/पुनर्स्थापना/अनुरक्षण कार्यो पर धनराशि आवश्यकता का निर्धारण करते हुए विभागीय मानको/लोक निर्माण विभाग के **शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी**। कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स भी गठित करेगें**, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी **अनिवार्य रूप से** किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। **निरीक्षण आख्या तथा जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायी जायेगी।**

4. बाढ़ से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यों की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत **रू0 20.00 लाख से अधिक न हों, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय राहत समिति** गठित की गयी है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत **रू0 20.00 लाख से अधिक, परन्तु रू0 1.00 करोड़ से अनधिक हो तो, कार्य के अनुमोदन हेतु मंडल स्तरीय राहत समिति** को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मंडलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा

वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में **शासनादेश संख्या 3665/1—10—2008—12(73)/2008 दिनांक 29 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या 4236/1—10—2008—12(73)/2008 दिनांक 10 सितम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या 4242/1—10—2008—14(75)/2008 दिनांक 10 सितम्बर, 2008 द्वारा वर्ष 2008—09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

5. तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यो की **परियोजनाओं को खण्ड़ों मे कदापि विभाजित नही किया जायेगा**, अपितु निरन्तरता वाली विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति, मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विस्तृत विवरण जिसमें क्षति का कारण, लागत, परियोजना की मरम्मत का औचित्य इत्यादि की पूर्ण सूचना शासन को **अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।**

6. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/पुनर्स्थापना के कार्यो का सर्वे बाढ़ समाप्ति होने के 05 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय। तत्पश्चात परियोजनाओं का प्राक्कलन प्रस्ताव तथा तकनीकी समिति से अनुमोदन आगामी 05 दिन में प्राप्त करते हुए 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्य प्रारम्भ हो जाय एवं 45 दिन में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसे प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय। मरम्मत कार्यो की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई हो।

8. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा मण्डल स्तरीय एवं जिला आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

9. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत धनराशि से **बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से** क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की **तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले** मरम्मत/पुनर्स्थापना/अनुरक्षण कार्यो को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य सम्बन्धित वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग–10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

11. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तब्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

12. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/ 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की **05 तारीख तक** उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें **दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 तक** शासन को समर्पित कर दिया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या – 4244 (1)/1–10–2008–12(73)/2008,टीसी–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी,सिद्वार्थनगर, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, फर्रूखाबाद, देवरिया, बाराबंकी, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, गोण्डा, आजमगढ, बलिया, सुल्तानपुर, कन्नौज, लखनऊ, मऊ, रामपुर ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
विशेष सचिव